

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010—आश्विन 15, शक 1932

गृह विभाग

( सी-अनुभाग )

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010

क्र. एफ.-31-23-80-दो-सी-1.—मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है. सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| (1) मान. न्यायमूर्ति श्री के. के. लाहोटी | — | अध्यक्ष |
| (2) मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह      | — | सदस्य   |
| (3) मान. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन | — | सदस्य   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना क्रमांक दिनांक 7 अक्टूबर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

Bhopal the 7th October, 2010

F. No. 31-23-80-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) and in supersession of this department's notification of even number dated 5th February, 2010 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board shall consist of the following Persons, namely :—

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| 1. Hon'ble Justice Shri K. K. Lahoti   | — | Chairman |
| 2. Hon'ble Justice shri Ajit Singh     | — | Member   |
| 3. Hon'ble Justice Shri Rajendra Menon | — | Member   |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRAHAS DUBEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010

क्र. एफ-31-23-80-दो-सी-1.—चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 07) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है। सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| (1) मान. न्यायमूर्ति श्री के. के. लाहोटी | — | अध्यक्ष |
| (2) मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह      | — | सदस्य   |
| (3) मान. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन | — | सदस्य   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010

क्र. एफ-31-23-80-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना क्रमांक दिनांक 7 अक्टूबर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

Bhopal the 7th October 2010

F. No. 31-23-80-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 07 of 1980) and in supersession of this department's notification of even number dated 5th February, 2010 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board shall consist of the following Persons, namely :—

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| 1. Hon'ble Justice Shri K. K. Lahoti   | — | Chairman |
| 2. Hon'ble Justice Shri Ajit Singh     | — | Member   |
| 3. Hon'ble Justice Shri Rajendra Menon | — | Member   |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRAHAS DUBEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010

क्र. एफ-31-23-80-दो-सी-1.—प्रिवेन्शन ऑफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रक्स एण्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का. सं. 46) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है। सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| (1) मान. न्यायमूर्ति श्री के. के. लाहोटी | — | अध्यक्ष |
| (2) मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह      | — | सदस्य   |
| (3) मान. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन | — | सदस्य   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010

क्र. एफ-31-23-80-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना क्रमांक दिनांक 7 अक्टूबर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

Bhopal the 7th October 2010

F. No. 31-23-80-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988) and in supersession of this department's notification even number dated 5th February 2010 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board shall consist of the following Persons, namely :—

1. Hon'ble Justice Shri K. K. Lahoti — Chairman
2. Hon'ble Justice Shri Ajit Singh — Member
3. Hon'ble Justice Shri Rajendra Menon — Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRAHAS DUBEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का. सं. 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है। सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- (1) मान. न्यायमूर्ति श्री के. के. लाहोटी — अध्यक्ष
- (2) मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह — सदस्य
- (3) मान. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन — सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

Bhopal the 7th October 2010

F. No. 31-23-80-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974) and in supersession of this department's notification of even number dated 5th February 2010 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board shall consist of the following Persons, namely :—

1. Hon'ble Justice Shri K. K. Lahoti — Chairman
2. Hon'ble Justice Shri Ajit Singh — Member
3. Hon'ble Justice Shri Rajendra Menon — Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRAHAS DUBEY, Secy.